भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 152**

दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**महिलाओं और बच्चों की तस्करी**

**\*152. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विगत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्‍तुत है ।

\*\*\*\*\*\*

**'महिलाओं और बच्चों की तस्करी' विषय पर श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 152 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण**

(क) : गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो द्वारा प्रदत्‍त सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों अर्थात 2014, 2015 और 2016 में अवैध मानव व्‍यापार की शिकार महिलाओं और बच्‍चों की संख्‍या इस प्रकार है :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **बच्‍चों की संख्‍या** | **महिलाओं की संख्‍या** |
| 2014 | 5985 | 3843 |
| 2015 | 7148 | 4752 |
| 2016 | 9034 | 5239 |

(ख) और (ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' तथा 'सार्वजनिक व्‍यवस्‍था' राज्‍य के विषय हैं । अत:, अवैध मानव व्‍यापार के अपराध की रोकथाम करने का मूल दायित्‍व राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों का है । तथापि, गृह मंत्रालय अवैध मानव व्‍यापार को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए समय-समय पर विभिन्‍न परामर्शियां जारी करके राज्‍य सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति करता रहा है । ये परामर्शियां गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्‍ध हैं ।

गृह मंत्रालय ने अवैध मानव व्‍यापार के मामलों के निपटान के लिए जिला स्‍तर पर अवैध मानव व्‍यापार रोधी इकाईयां स्‍थापित करने के लिए राज्‍यों को वित्‍तीय सहायता भी प्रदान की है । गृह मंत्रालय राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों में मानवों के अवैध व्‍यापार की स्‍थिति की समीक्षा करने तथा अवैध मानव व्‍यापार से संबंधित मुद्दों के बारे में उनमें संचेतना पैदा करने के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों की अवैध मानव व्‍यापार रोधी इकाइयों के नोडल अधिकारियो की बैठकें भी आयोजित करता है । गृह मंत्रालय ने अवैध मानव व्‍यापार के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ तथा राज्‍यों में नकली नियोजन एजेंसियों, जो रोजगार प्रदान करने के बहाने सीधे-साधे व्‍यक्‍तियों को ठग लेती हैं, पर कड़ी निगरानी रखने के लिए रोजगार और श्रम मंत्रालय के साथ समन्‍वय स्‍थापित किया है । गृह मंत्रालय ने रेल मंत्रालय से भी अनुरोध किया है कि वे विभिन्‍न रेलवे स्‍टेशनों पर कार्यरत रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) तथा सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के कार्मिकों को रेलवे के माध्‍यम से अवैध व्‍यापार की शिकार महिलाओं की घटनाओं का पता लगाने के लिए उन्‍हें सचेत करें । गृह मंत्रालय अवैध मानव व्‍यापार को रोकने और उसका मुकाबला करने के बारे में न्‍यायिक अधिकारियों और राज्‍य पुलिस अधिकारियों में जागरुकता पैदा करने के उद्देश्‍य से न्‍यायिक सम्‍मेलन तथा राज्‍य स्‍तर पर सम्‍मेलन आयोजित करने के लिए राज्‍यों को वित्‍तीय सहायता भी प्रदान करता रहा है ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 'उज्‍ज्‍वला' नामक एक स्‍कीम है, जिसका उद्देश्‍य व्‍यावसायिक यौन शोषण के लिए अवैध व्‍यापार को रोकना तथा अवैध व्‍यापार की शिकार महिलाओं का बचाव, पुनर्वास, परिवार में वापसी और देश वापसी कराना है ।

उज्‍ज्‍वला स्‍कीम में निवारण घटक के अंतर्गत एक परियोजना के लिए 1,00,000/-रुपये निर्मुक्‍त किए जाते हैं और 24.12.2018 तक की स्‍थिति के अनुसार देश में निवारण घटक के अंतर्गत 244 उज्‍ज्‍वला परियोजनाएं क्रियान्‍वित की जा रही हैं । निवारण घटक के अंतर्गत निम्‍नलिखित गतिविधियां चलाई जाती हैं :

1. पंचायत/नगरपालिका द्वारा समुदाय से समुचित रूप से संस्‍तुत अथवा नामित एक महिला के प्रतिनिधित्‍व वाले सामुदायिक सर्तकता समूह का गठन और कार्यकरण ।
2. अवैध मानव व्‍यापार के मुद्दे पर संचेतना कार्यशालाएं और संगोष्‍ठियां, जिनका उद्देश्‍य लोगों को अपने आसपड़ोस के बारे में जागरुक बनने और उनके समुदाय में इस समस्‍या को रोकने में मदद करना है ।
3. जन-संचार माध्‍यमों, सांस्‍कृतिक गतिविधियों तथा पैम्‍फलेटों और पोस्‍टरों जैसी अन्‍य सामग्रियों के माध्‍यम से लोगों में जागरुकता पैदा करना ।

इसके अतिरिक्‍त, किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जे. जे. एक्‍ट) में धारा 2(14) (ix) के अनुसार, ''देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चे'' वाक्‍यांश के अर्थ में सुभेद्य पाए गए अथवा अवैध व्‍यापार में धकेले जाने की संभावना वाले बच्‍चे शामिल हैं । उपधारा 2(14) (ii) तथा (viii), जिसमें श्रम कानूनों का उल्‍लंघन करके काम करते हुए अथवा भीख मांगते हुए तथा जो यौन शोषण के प्रयोजनार्थ अथवा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद वाक्‍यांश के अर्थ के अनुसार अवैध कृत्‍य करते रहे हैं अथवा जिनके साथ दुर्व्‍यवहार, अत्‍याचार अथवा शोषण हो रहा है या होने की संभावना है, ऐसे बच्‍चे शामिल हैं । इसके अतिरिक्‍त, जेजे अधिनियम की धारा 81 में किसी भी प्रयोजनार्थ बच्‍चों की बिक्री और अधिप्राप्‍ति के लिए दंड का प्रावधान है और धारा 84 बच्‍चों को भगाकर ले जाने अथवा उनका अपहरण करने से संबंधित है । धारा 54 तथा धारा 41 (9) बच्‍चों के रहने के लिए बनी संस्‍थाओं के निरीक्षण के संबंध में है । इसके अलावा, बच्‍चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 में ऐसे व्‍यक्‍तियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है, जो किसी गृह के प्रबंधन अथवा कर्मचारियों में शामिल हैं और जो ऐसे बच्‍चों का यौन शोषण करते हैं । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रेलवे के संपर्क में आने वाले भागे हुए, अकेले और अवैध व्‍यापार के शिकार बच्‍चों की देखरेख, सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्‍चित करने के लिए एक संयुक्‍त पहल की है । रेल मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार एक व्‍यावहारिक अनुदेश परेशान बच्‍चों के लिए चौबीसों घंटे टेलीफोन सहायता सेवा के लिए चुनिंदा रेलवे स्‍टेशनों पर बाल सहायता डैस्‍क स्‍थापित करना था । यह सेवा एक विशेष नि:शुल्‍क टेलीफोन नं. 1098 पर उपलब्‍ध है, जहां तक भारत के किसी भी भौगोलिक स्‍थल से संकटाधीन बच्‍चों अथवा उनकी ओर से वयस्‍कों द्वारा पहुंचा जा सकता है ।

\*\*\*\*\*